निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 534) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जून 2016

गृह विभाग

प्रपत्र सं0–1

(बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 एवं बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम 7 के अधीन)

घोषणा

28 जून 2016

सं0बी0/आ0अ0ई0–03/2016–6202—चूँकि यह अभिकथित किया गया है कि **श्री नागेश्वर शर्मा, पिता–श्री बद्री शर्मा, ग्राम–रतनपुर, थाना–दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद, वर्तमान पता–राधिका भवन, आदर्श बिहार कॉलोनी, रूकनपुरा, थाना–रूपसपुर, जिला–पटना** ने बिहार राज्य में **लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर में कार्यपालक अभियन्ता** का पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उप धारा (1) के खंड (ड़) के अधीन अपराध किया और मामले की जांच **आर्थिक अपराध थाना कांड सं0 07/13, दिनांक 19.02.2013** धारा 13 (2) सह पठित धारा 13(1)(ड़) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में की गई है;

और चूंकि अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर राज्य सरकार की राय है कि **श्री नागेश्वर शर्मा, पिता–श्री बद्री शर्मा, ग्राम–रतनपुर, थाना–दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद, कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार** जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपने आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक संपत्ति संचित किया है, पर प्रथम दृष्टया केस बनता है;

और चूंकि सरकार को यह आवश्यक और समीचीन प्रतीत होता है कि उक्त अपराधी पर विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाए;

इसलिए, अब विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध का निपटारा विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अधीन किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

HOME DEPARTMENT

FORM No. 1

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act, 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules, 2010)

DECLARATION

28th June 2016

No.बी0/आ0अ0ई0-03/2016-6202—WHEREAS, It was alleged that **SHRI NAGESHWAR SHARMA, S/O-Shri Badri Sharma, Vill-Ratanpur, P.S.-Daudnagar, Dist-Aurangabad, A/P-Radhika Bhawan, Adarsh Bihar Colony, Rukunpura, P.S.-Rupaspur, Distt-Patna,** while holding the post of the **Executive Engineer, Public Health Division, Samastipur, Public Health Engineering Department, Govt. Of Bihar** and serving in different capacities under Government of Bihar committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in **Economic Offences Unit P.S. Case No. 07/2013, dated. 19.02.2013** under section 13(1)(e) read with section 13(2) of Prevention of Corruption Act, 1988,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned offence by **SHRI NAGESHWAR SHARMA, S/O-Shri Badri Sharma, Vill-Ratanpur, P.S.-Daudnagar, Dist-Aurangabad, Executive Engineer, Public Health Division, Samastipur, Department of Public Health Engineering, Govt. Of Bihar** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009 (Bihar Act 5 of 2010);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Bihar Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 534-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in